

जय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
66/19	53 RTA	दादरखेड़ा	2/8/19
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
— 301—	बनाम	शिवराज	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16/7/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्गे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/19 को पेश हो।	
21/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील आर्की उपस्थित। प्रतिवादी उम 1 व 3 की तरफ से श्री प्रमोद गोपाल - भागीरथ सिंह का कानून का नाम पेश तथा 4 व 5 की तरफ से श्री मण्डकिंद एडवो. द्वारा अट्टरटैकिंग पेश की, प्रतिवादी उम 2 व 6 की तरफ से हेतु तलवी श्रीपदी पेश की। वकील पत्रावली तलवी पत्रावली दिनांक 25/9/19 को पेश हो।	4 व 5 की तरफ से श्री मण्डकिंद एडवो. द्वारा अट्टरटैकिंग
25/9/19	पत्रावली पेश हुई। उम 4 व 5 भारत उपस्थित। प्रतिवादी उम 2 व 6 की तरफ से हेतु तलवी का पत्रावली तलवी पत्रावली दिनांक 23/10/19 को पेश हो।	
23/10/19	आगत पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में रुकावट के कारण पत्रावली पूर्वगत रिशति में दिनांक 21/12/19 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड आ. छबड़ा

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

25/7/22

पञ्जीवली पेश हुई। बमोल प्राची उपस्थित। उक्त
 वार पत्र धारा 53 RTI के तहत विचारणीय
 है। उक्त प्रकरण का वस्तु प्रशासन गांव के क्षेत्र
 अधिधान 2021 में तहसीलदार इकाई द्वारा खेतयान
 की खसती के आधार पर वरवार किया जा
 चुका है तहसीलदार इकाई से रिपोर्ट प्राप्त हो
 चुकी है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित
 नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर
 पर ड्राफ्ट की जाती है। पञ्जीवली के सल सुभार
 होकर दारिजिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)